(1)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम–श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
45/18	अपील	05.09.2018	05.03.2021

1.रामेश्वर पुत्र हरभान जाति–गुर्जर निवासी–मच्छीपुरा तहसील–गंगापुर सिटी जिला–सवाई माधोपुर (राजस्थान)
2.रामकेस पुत्र हरभान जाति–गुर्जर निवासी–मच्छीपुरा तहसील–गंगापुर सिटी जिला–सवाई माधोपुर (राजस्थान)
3.भरोसी हरभान जाति–गुर्जर निवासी–मच्छीपुरा तहसील–गंगापुर सिटी जिला–सवाई माधोपुर (राजस्थान)
4.भूरसिंह हरभान जाति–गुर्जर निवासी–मच्छीपुरा तहसील–गंगापुर सिटी जिला–सवाई माधोपुर (राजस्थान)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी –रेस्पोंडेन्ट

निर्णय दिनांक–05.03.2021

1. यह अपील अपीलार्थीगण ने द्वारा भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 528/06 में पारित आदेश दिनांक 01.9.2006 के द्वारा आराजी खसरा न0 884 रकबा 1.21 है0 किस्म सिवायचक पर संवत् 2063 खरीफ मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करने का अतिक्रमी मानकर भूमि से बेदखल किये जाने व अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित किये जाने व फसल जप्ती के साथ साथ अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास से दण्डित किए जाने के आदेश परित किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील संख्या 139/06 दिनांक तारीख रजू दिनांक 27.09.06 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर शिविर गंगापुर सिटी में प्रस्तुत हुई जिसका निर्णय दिनांक 08.11.06 को किया गया जिसके अन्तर्गत तत्कालीन पीठासीन अधिकारी महोदय ने अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर दी गई। उक्त निर्णय दिनांक 08.11.06 के विरूद्व अपीलार्थीगण ने अपील संख्या 23/07 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर में प्रस्तुत की उसे दिनांक 15.04.2008 को खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात् अपीलार्थीगण द्वारा मा0 राजस्व मण्डल अजमेर मे निगरानी प्रस्तुत की उक्त निगरानी प्रकरण संख्या निगरानी निगरानी/एलआर/10633/2008/स.माधोपुर प्रस्तुत की गई, जिससे दिनांक 10.07.2008 श्रीमान् मा0 एकलपीठ द्वारा यह निर्णय दिया गया कि यदि प्रार्थी निगरानीकर्ता ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, [illegible] करा दिया हो तथा भविष्य मे कब्जा नही करने बावत् अण्डरटेकिंग संबंधित [illegible] के समक्ष प्रस्तुत करदे तो इस स्थिति में सिविल कारावा[illegible] है। शेष आदेश बावत बेदखली एवं तावान कायमी य[illegible] उक्त आदेश दिनांक [illegible]2008 की पालना में अपीलार्थीगण ने दिनांक 22.06.20[illegible] को तहसीलदार गंगा[illegible] के यहाँ उक्त भूमि ख0 न0 884 रकबा 1.21 है0 भूमि से कब्जा छोड दिया गया है। भविष्य में कब्जा नही करने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने दिनांक 22.06.2016 की आदेशिका मे उल्लेख किया कि पटवारी हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Navratan Koli
Date: 2021.07.08 11:31:21 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

से मौके की रिपोर्ट ली जावें कि अतिक्रमियों ने विवादित भूमि से कब्जा हटाया है या नही तथा पैनल्टी राशि जमा कराई है या नही रिपोर्ट ली जाकर पत्रावली दिनांक 07.07.2010 को प्रस्तुत हो उक्त प्रकरण में इसके पश्चात दिनांक 07.07.10, 26.07.10,25.07.10 15.09.10,21.2.11, 12.3.11, 20.04.2011 19.5.11, 26.6.11,18.08.11 तक तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहाँ से कोई तहरीर ही पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब किए जाने की जारी नही हुई तथा 10–11 पेशियों के पश्चात दिनांक 27.06.11 को तत्कालीन पटवारी हल्का को तहरीर जारी की गई तत्कालीन पटवारी महोदय ने बिना मौके पर पहुँचे ही झूठे आधार पर दिनांक 21.07.11 झूठी रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 15.11.2011 को झूठे तथ्यों पर रिपोर्ट पेश की कि कब्जा नही हटाया है । इसके आधार पर अपीलार्थीगण के विरूद्व गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गये। अपीलार्थीगण को उक्त वारंटों के संबंध में कोई जानकारी भी नही हुई। अपीलार्थी वरिष्ठ नागरिक है एवं अतिपिछड़ी जाति के है। रामेश्वर अपीलार्थी ह्रदय चाप से भी पीडित है। अपीलार्थीगण को जैसे ही ज्ञात हुआ कि तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा झूठी रिपोर्ट पेश है तो श्रीमान् तहसीलदार गंगापुर सिटी से स्वंय या गिरदावर से पुनः मौका दिखाए जाने हेतु निवदेन किया। इस पर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायोचित नही समझते हुए दिनांक 27.10.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.11.16 को निरस्त कर पुनः गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए। उक्त प्रकरण मे अपीलार्थीगण द्वारा चूंकि पूर्व में ही उक्त ख0न0 884 पर से कब्जा हटा लिया गया है। अपीलार्थीगण ने माननीय रेवन्यू बोर्ड के निर्णय दिनांक 10.07.2008 की पालना में यह भी अण्डरटेकिंग व शपथ–पत्र तहसीलदार के यहाँ पूर्व में ही दिनांक 26.05.2010 को प्रस्तुत कर रखा है कि भविष्य मे कभी भी कब्जा नही करेंगे। इसके बावजूद भी वारंट जारी कर दिया गया है। उक्त दिनांक 15.11.2011 व 27.10.2017 के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर देने के पश्चात् मा. राजस्थान उच्च न्यायालय मे रिट संख्या एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन नम्बर 13753/2017 प्रस्तुत की जिसमे मा0 राज0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.02.18 को तहसीलदार, गंगापुर सिटी से रिपोर्ट तलब की कि उक्त विवादित भूमि से कब्जा अतिक्रमण हटाया है या नही इस पर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने दिनांक 27.2.18 के यह रिपोर्ट पेश की कि अतिक्रमी कब्जा पहले से ही हटा रखा है। मा0 राज0 उच्च न्यायायल के न्यायाधीश महोदय ने दिनांक 27.02.18 को उक्त रिट का फैसला कर दिया है कि अतिक्रमियों ने कब्जा हटा लिया है। अब पिटीशनर अपीलार्थियों को लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अल्टरनेटिव रेमेडी धारा 91 एल.आर.एक्ट के विरूद्व लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मे अपील करने का प्रावधान तहसीलदार के द्वारा जारी वांरटों के विरूद्व अपील का प्रावधान है उसके तहत कार्यवाही करे। मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.02.18 के निर्णय की नकल दिनांक 07.03.18 को अपीलार्थीगण को प्राप्त हुई है। इसलिए अब प्रार्थी उक्त तहसीलदार गंगापुर सिटी के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंटो के विरूद्व मा0 राज0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मे उपलब्ध रैमेडी के तहत उक्त अपील धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। प्रकरण संख्या 528/2006 सरकार बनाम रामेश्वर वगै0 मे दिनांक 27.7.17 व इसके पश्चात् भी गिरफ्तारी वारंट जारी है उन्हे न्यायहित मे निरस्त किया जाना न्यायोचित है क्योकि खसरा न0 884 रकबा 1.21 है0 भूमि स्थित ग्राम मच्छीपुरा की भूमि से अपीलार्थीगण का कब्जा दिनांक 10.07.08 पालना मे पूर्व से ही हटा लिया गया है [illegible] –पत्र तहसीलदार के कार्ट मे प्रस्तुत कर दिया गया था। इस प्रकार [illegible] कोई कब्जा नही करने की अण्डरटेकिंग मौजूद है इसलिए [illegible] अति आवश्यक व न्यायोचित है। मा0 राज0 उच्च [illegible] एल.आर. एक्ट तहत उपलब्ध होने के आदेश की नकल [illegible] प्राप्त हुई है इसलिए अपील अन्दर मियाद धारा–5 मियाद अधिनियम की दरखास्त के तहत देरी को क्षमा किए जाने के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। श्रीमान् न्यायालय को अपील सुनने का पूर्ण क्षेत्राधिकार है अपील उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अपील अपीलार्थीगण की ओर से धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि उनवानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Navratan Koli
Date: 2021.07.08 11:31:21 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

प्रकरण संख्या 528/2006 सरकार बनाम रामेश्वर वगैहरा धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय से जारी गिरफतारी वारंट जो दिनांक 15.11.11 एवम् 27.04.17 व अन्य बाद की पेशी पर जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त फरमाया जाने की कृपा करे अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जावे प्रार्थीगण माननीय राजस्व बोर्ड के आदेश का पालन करते रहेगें।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये नोटिस की गई एवं मिसल अदालत मातहत तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं।

4. बहस वकील अपीलार्थी सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा है कि गिरफतारी वारंट जो दिनांक 15.11.11 एवम् 27.04.17 व अन्य बाद की पेशी पर जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त फरमाया जावें।

5. हमने अपील, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व सुसंगत विधि का आद्योपान्त अवलोकन व मनन किया।

6. यह निर्विवाद है कि तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रकरण में 01.09.2006 को निर्णय पारित कर भूमि से बेदखली , फसल जप्ती के व अर्थदण्ड स्वरूप शास्ती आरोपित करते हुए सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश पारित किये। जिसकी अपील न्यायालय एडीएम सवाई माधोपुर व न्यायालय सवाई माधोपुर द्वारा क्रमशः दिनांक 08.11.2006 व 15.04.2008 को खारिज कर दिया।

7. अपीलार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 10.07.2008 को निर्णय पारित किया गया उक्त निर्णय का कार्यात्मक भाग (Operative Portion) निम्नानुसार है–

"उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया करने के बाद इस निगरानी के एडमीशन स्टेज पर ही आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अण्डर टेकिंग सम्बन्धित तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर दे तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है। शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है।"

8.अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 15.11.2011 व 15.11.2016 से यह भी इंगित होता है कि दिनांक 15.11.2011 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार,गंगापुर सिटी द्वारा अतिक्रमी को जरिये गिरफ्तारी वारंट तलब करने के आदेश किये तत्पश्चात् 26.11.2015 को अपीलार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार गंगापुर सिटी को पेश कर निवेदन किया कि कब्जा नहीं हटाने बाबत् जो रिपोर्ट पटवारी हल्का ने की है वह झूठी है तथा तहसीलदार स्वयं, या अधीनस्थ गिरदावर या पटवारी से मौका रिपोर्ट तलब करें। उक्त प्रार्थना पत्र को तहसीलदार, गंगापुर सिटी द्वारा खारिज करते हुए आदेशिका में निम्नानुसार आदेश अंकित किया है कि–

"हमारी विनम्र राय में 2011 की पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर 05 वर्ष पश्चात् शंका किया जाना एवं पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र दिनांक 26.10.2016 खारिज किया जाता है। पत्रावली में गिरफ्तारी वारण्ट जारी दिनांक 30.12.2016 को पेश हो।"

9. तहसीलदार, गंगापुर सिटी द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 15.11.2011 व 15.11. 2016 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका संख्या SB Civil Writ No. 13753/2017 प्रस्तुत की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.08.2018 को आदेश पारित किया कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 15.11. 2011 व 15.11.2016 तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा पारित किये गये है। इससे यदि याचिकाकर्ता पीड़ित है तो उनके पास अल्टरनेटिव रेमेडी उपलब्ध है। याचिका में पारित आदेश का कार्यात्मक भाग निम्नानुसार है–

"The order impugned herein has been passed by the Tehsildar. If the petitioner are aggrieved by it, they are having alternative remedy. If the

Signature Not Verified
Digitally signed by Navratan Koli
Date: 2021.07.08 11:31:21 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

order is passed under Section 91 of **Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (for short "the act of 1956")**, an appeal lies and if it is an interim order then a revision can be filed before the Board of Revenue."

10. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.08.2018 के कम में यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है। प्रकरण में हमें यह देखना है कि क्या तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 15.11.2011 व 15.11.2016 को जो आदेश पारित किये गये हैं, क्या विधिसंगत है ? माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी में दिनांक 10.07.2008 को पारित निर्णय की उभयपक्षकारान द्वारा पालना की जानी है। निगरानी में पारित उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार, गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 15.11.11 व 15.11.16 को आदेशिका पर आदेश पारित किये है। प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा पत्र कमांक 1082 दिनांक 27.06.11 पटवारी हल्का मच्छीपुरा को जारी कर रिपोर्ट चाही थी कि अतिकमियों ने भूमि से कब्जा हटाया अथवा नहीं। इसकी पालना में पटवारी हल्का ने दिनांक 21.07.2011 को यह रिपोर्ट प्रेषित की कि अतिकमियों का कब्जा काश्त वर्तमान में भी है। कब्जा नहीं हटाया गया है। रिपोर्ट पेश है। पटवारी की रिपोर्ट में यह जाहिर नहीं होता है कि पटवारी द्वारा अतिकमियों की उपस्थिति में या किन लोगों की उपस्थिति में मौका देखा गया था । फर्द मौका रिपोर्ट भी तैयार नहीं किया गया। पटवारी की इसी रिपोर्ट को आधार मानकर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा 15.11.11 को आदेश पारित किया कि अतिकमी को जरिये गिरफ्तारी वारंट को तलब किया जाकर दिनांक 20.12.2011 को पेश हो। पुनः अतिकमियों द्वारा प्रा0 पत्र इस आश्य का तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया कि पटवारी रिपोर्ट झूठी है। अतः पुनः मौका स्वयं, गिरदावर या पटवारी हल्का से दिखवा सकते है। इस प्रार्थना पत्र को तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा यह तर्क देकर खारिज कर दिया कि 2011 की पटवारी हल्का रिपोर्ट पर पांच वर्ष पश्चात् शंका किया जाना व पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

11. हमारी विनम्र राय में अतिकमियों को समुचित रूप से सुनकर तथा मौका देखने के दौरान फर्द मौका रिपोर्ट तैयार करने बाद ही कोई आदेश पारित किया जाना चाहिए।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की करते है तथा हम तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मुकदमा नम्बर 528/06 उनवानी सरकार बनाम रामेश्वर वगै0 में दि0 15.11.11 व 15.11.2016 को पारित आदेश निरस्त करते है तथा प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित करते है कि तहसीलदार, गंगापुर सिटी अतिकमियों को लिखित में सूचित करने के बाद उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर स्वयं समाधान करेंगे कि अतिकमियों ने भूमि से अतिकमण हटा लिया है या नहीं इस प्रकार यह भी समाधान करेंगे कि तावान जमा करा दिया है तथा भविष्य में कब्जा न करने बावत् अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी है या नहीं उक्त मौका निरीक्षण के अनुसार तहसीलदार, गंगापुर सिटी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश की समुचित पालना करते हुए पुनः विधिसंगत आदेश पारित करें।

निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल अदालत मातहत संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक– 05.03.2021 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Navratan Koli
Date: 2021.07.08 11:31:21 IST
Reason: SelfAttested

(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)